न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 95 / 2022	2022 / 124	11.04.2022	07.06.2022

—उनवान—

1. औमप्रकाश पुत्र सुमेर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामरति पुत्री स्व0 जयनारायण पत्नी सुबेसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा हाल ग्रम सिहाली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. सौभाग्यवति उर्फ भागमति पुत्री स्व0 जयनारायण पत्नी वीरसिह यादव हाल निवासी ग्राम रालियावास तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
3. कौशल्या उर्फ कोयली पुत्री स्व0 जयनारायण पत्नी राजेन्द्र यादव हाल निवासी ग्राम रालियावास तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
4. राजकुमार पुत्र स्व0 प्रहलाद जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर।
5. कृष्ण कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर।
6. फूलाबाई पुत्री स्व0 प्रहलाद पत्नी बनवारीलाल निवासी ग्राम खेड़ा खानपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7. रामकलां पुत्री स्व0 प्रहलाद पत्नी धर्मवीर यादव निवासी ग्राम रालियावास तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा।
8. सुमेर सिंह पुत्र स्व0 जुगलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री कमल सिंह पोसवाल **—वकील प्रार्थी**

02. श्री अजीत कुमार यादव **—वकील अप्रार्थी सं0 1, 2 व 5**

——:: निर्णय ::——

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान औमप्रकाश बनाम रामरति वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण औमप्रकाश बनाम रामरति वगै0 प्रकरण सं0 278/2018 के साथ अन्तर्गत धारा 212 भी विचाराधीन है। पेशी दिनांक 09.03.2022 को अप्रार्थी सं0 5 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में गया तथा कुछ देर बैठा और उसी दिन एसडीओ साहब ने न्यायालय में खुलेआम प्रार्थी को कहा कि इस प्रकरण में तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत टी आई प्रा.पत्र में कोई सार नहीं है। इसलिए दिनांक 15.03.2022 को आवश्यक रूप से बहस कर देना नहीं तो प्रकरण का फैसला कर देंगे। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में विशेष रूचि लेकर नजदीक पेशीया दी जाती है। प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी विपक्षी पार्टी के बेजा प्रभाव में आकर प्रकरण का फैसला खिलाफ करेंगे। अप्रार्थी सं0 5 ने दिनांक 09.03.2022 को गांव में ऐलानिया कहा कि एसडीओ सा0 से मेरी बातचीत हो चुकी है तथा आगामी पेशी पर हर हालात में प्रकरण का निस्तारण अपने पक्ष में करवा लूंगा और तुमने जो स्टे लिया है उसको खारिज करवा दूंगा। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से बिल्कुल भी न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1, 2 व 5 ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र मुंतकिल वादकारण पैदा करने के लिए पेश किया गया है। दिनांक 09.03.2022 को मिन अप्रार्थी सं0 5 अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गया। ना की बैठा और ना वार्तालाप किया। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिव प्रकिया अपनाई जा रही है। पीठासीन अधिकारी किसी प्रकार से हमारे प्रभाव में नहीं है। बल्कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्टे आदेश जारी कराया हुआ है। प्रकरण में देरी के लिए प्रा.पत्र पेश किया गया है। प्रकरण को मुंतकिल करने की स्थिति में पक्षकारान् को

जिला कलक्टर, अलवर

एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में काफी परेशानी होगी। नापूर्ति होने वाली हानि होगी। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रा0पत्र मुंतकिल सं0 15/79/2020 उनवान ओमप्रकाश बनाम रामरति वगै0 पेश किया गया जो दिनांक 10.11.2020 को खारिज कर दिया गया। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर प्रा0पत्र मुंतकिल सं0 4822/2020 उनवान ओमप्रकाश बनाम योगेशसिंह देवल पेश किया जिसे दोनों पक्षों की सुनकर खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा.पत्र वाद में देरी व बार–बार पेश करने का आदि है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि पत्रावली वास्ते तलबी में नियत है। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पत्रावली में निस्तारण हेतु पेशीया दी जा रही है। प्रार्थी द्वारा पेश तथ्य मनगढंत व बेबुनियाद है। झूठे है। फिर भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करने पर इस न्यायालय को कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1, 2 व 5 की बहस सुनी गयी तथा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रा0पत्र मुंतकिल सं0 15/79/2020 उनवान ओमप्रकाश बनाम रामरति वगै0 पेश किया गया जो दिनांक 10.11.2020 को खारिज कर दिया गया। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर प्रा0पत्र मुंतकिल सं0 4822/2020 उनवान ओमप्रकाश बनाम योगेशसिंह देवल पेश किया जिसे दोनों पक्षों की सुनकर खारिज कर दिया गया। प्रार्थी बार–बार मुंतकिल प्रा.पत्र पेश करने का आदि है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है तथा प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी नीमराना प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर अलवर